**श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 11.01.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत आपूर्त्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

उपस्थिति :-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विनोद कुमार सिंह, जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
3. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. श्री महेश कुमार दास, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर।
6. मो0 सलीम अख्तर, अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर।
7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज/खड़गपुर/टेटियाबम्बर।
8. अंचल अधिकारी, तारापुर/बरियारपुर।
9. डिपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर।
10. सहायक गोदाम प्रबन्धक, मुंगेर/जमालपुर/खड़गपुर/तारापुर।
11. प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/जमालपुर।
12. आपूर्त्ति निरीक्षक, संग्रामपुर।

**(1) खाद्यान्न का उठाव/वितरण :-**

खाद्यान्न उठाव/वितरण की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 5924MT चावल उपलब्ध हैं, जो जनवरी एवं फरवरी, 2013 दोनों माह के लिए पर्याप्त है। चूँकि भारत सरकार द्वारा CMR की अवधि 28 फरवरी, 2013 तक विस्तारित की गयी है, जिसमें लगभग 3375MT से अधिक चावल लखीसराय एवं शेखपुरा जिलो से आने की संभावना हैं। अतः कम-से-कम जनवरी एवं फरवरी माह में बाहर से किसी चावल के रैक की आवश्यकता नहीं है एवं मार्च माह में भी लगभग एक रैक चावल की आवश्यकता होगी।

विगत नवम्बर, 2012 से गेहूँ की उपलब्धता नगण्य होने के कारण दिसम्बर, 2012 में केवल अन्त्योदय उपभोक्ताओं को गेहूँ की आपूर्त्ति की गयी है, किन्तु दिनांक 11.01.13 के बीत जाने के बाद भी गेहूँ की उपलब्धता एवं संभावित रैक की सूचना हेतु पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-1045, दिनांक 13.12.2012 एवं पत्रांक 1100, दिनांक 28.12.2012 तथा विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी दो रैक गेहूँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हैं। अतएव जनवरी, 2013 में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय दोनों लाभूकों के बीच मात्र चावल वितरण करने का निदेश दिया गया।

जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि हर हाल में माह जनवरी, 2013 के खाद्यान्न का उठाव कर दिनांक 25.01.2013 तक सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को वितरित करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रकाश में आने पर कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछ मामलों में गुणवत्तापूर्ण चावल की आपूर्त्ति नहीं की जा रही है, इस हेतु जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में खराब चावल का उठाव नहीं किया जाना है। उठाव प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि यदि खराब चावल/गेहूँ देने का प्रयास डिपो प्रबंधक द्वारा किया जाये तो इन्कार कर दें एवं जिला प्रबंधक को अवगत करायें।

**(2) SMS Intimation System :-**

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करेगें कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय खाद्यान्न/किरासन तेल का उठाव कर ले तथा उसके अगले दिन सुबह 10:00 बजे तक वेबसाईट पर प्रविष्टि कर ली जाए ताकि उपभोक्ताओं को SMS ससमय चला जाए।

साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं कुछ अतिरिक्त SMS प्राप्तकर्त्ता उपभोक्ताओं का नाम वेबसाईट पर शुद्ध रूप से प्रविष्ट कराना अत्यावश्यक हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को SMS भेजा जा सके, जिसके लिए IT Manager, NIC मुंगेर से सम्पर्क कर शीघ्र अपलोड करा लिया जाए।

**(3) भुगतानशुदा कूपन की स्कैनिंग :-**

कूपन स्कैनिंग समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तारापुर अनुमण्डल क्षेत्र का माह अगस्त, 2012 एवं खड़गपुर अनुमण्डल क्षेत्र का माह सितम्बर, 2012 तक के भुगतानशुदा कूपन की स्कैनिंग की गई हैं। इसी प्रकार सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम, मुंगेर के माह अक्टूबर, 2012 तक एवं शेष का नवम्बर, 2012 के ही भुगतानशुदा कूपन की स्कैनिंग की गई है, जिससे स्पष्ट हैं कि कूपन स्कैनिंग कार्य की गति धीमी हैं। चूँकि मई माह में नये कूपन की आवश्यकता होगी, अतः इसके लिये सभी अनुमंडल पदाधिकारी अधियाचना तैयार करा लेंगे ताकि अप्रैल माह में नये कूपन प्राप्त हो जायें एवं कूपन पंजी भी कार्यालय में संधारित करायेंगे।

**(4) अधिप्राप्ति :-**

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम ने बताया कि खरीफ अधिप्राप्ति 2011-12 का CMR, जुलाई माह में शत-प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को दिया जा चुका है। साथ ही रबी अधिप्राप्ति का भी पूर्ण गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को दिया जा चुका है। अब खरीफ 2012-13 की अधिप्राप्ति प्रांरभ हो चुकी है एवं मौसम ठीक हो जाने के कारण गति आना संभावित है।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला अधिप्राप्ति आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करायें एवं कोई समस्या आने पर तुरंत अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुये निराकरण करायें।

भारत सरकार द्वारा CMR जमा करने की तिथि में बढोतरी के पश्चात् पुनः लखीसराय एवं शेखपुरा का CMR सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिया जाये। पूर्व में क्षेत्र प्रबंधक से विमर्श कर सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को गेहूँ अधिप्राप्ति की तिथि निर्धारित की गयी थी जो वर्तमान में भी लागू रहेगी। उक्त दिवसों पर गेहूँ अथवा चावल का निर्गम नहीं किया जाये। किन्तु नवम्बर एवं दिसम्बर माह में CMR प्राप्त होने की प्रगति की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि चूँकि नवम्बर, 2012 में कुल 12 कार्य दिवस में CMR जमा किया गया है जिसमें मात्र 33 लौट ही जमा हुआ। इसी प्रकार दिसम्बर, 2012 में दिनांक 01.12.12 से 15.12.12 तक 06 कार्य दिवस CMR के लिए निर्धारित थे, जिसमें 06 लौट ही जमा किये गये। यदि इसी तरह की गति यथावत् रखी जाती है तो विस्तारित अवधि में भी पूर्ण CMR लखीसराय एवं शेखपुरा से समर्पित हो जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। चर्चा के दौरान FCI डिपो मैनेजर द्वारा बताया जाता है कि लखीसराय एवं शेखपुरा से CMR नहीं आ रहा है, जबकि

जिला प्रबंधक लखीसराय-सह-शेखपुरा द्वारा पूर्व में बताया गया है कि FCI द्वारा CMR नहीं लिया जा रहा है। अतः नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी माह में अद्यतन दैनिक CMR प्राप्ति का प्रतिवेदन SFC मुख्यालय को भेजा जाये ताकि मुख्यालय स्तर से भी भारतीय खाद्य निगम को तीव्र गति से लखीसराय एवं शेखपुरा जिले का CMR प्राप्त करने का निदेश दिया जा सके।

**(5) खाद्यान्न दिवस का आयोजन एवं प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खाद्यान्न दिवस संबंधी विभागीय निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सभी प्रखण्डों में नहीं हो रहा हैं। अतः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करेगें कि 20 जनवरी 2013 तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता खाद्यान्न का उठाव कर सुरक्षित रखेगें। तथा प्रत्येक माह खाद्यान्न दिवस आयोजित करने हेतु पंचायतवार तिथि निर्धारित कर 20-30 जनवरी तक उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जाये। सभी प्रभारी/प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का सत्यापन एवं कम-से-कम 25% दुकानों का विस्तृत निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

24/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...56..../जि0आ0, दिनांक 24.01.2013

प्रतिलिपि :- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/डीपो प्रभारी भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर/सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

24/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...56.../जि0आ0, दिनांक 24.01.2013

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।